समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सम्भाग सागर म. प्र.

निगरानी - 4954/2018/सागर/भू.रा.

अर्जुन सिंह आत्मज हजारी सिंह राजपूत उम्र 55 वर्ष

व्यवसाय - कृषि कार्य

निवासी - ग्राम बम्होरी तह. सागर जिला सागर म. प्र.

.... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

147
12/7/18

विरुद्ध

श्रीमति् रश्मि आत्मज पत्नि इंन्द्रराज सिंह राजपूत
निवासी ग्राम केवलारी तह. केसली जिला सागर म. प्र.
हाल निवासी सी/14 एल. आई. जी. धनवंतरी नगर जबलपुर म. प्र.

....अनावेदिका

B.O.R.
20 JUN 2018

रिवीजन आवेदन अर्न्तगत धरा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

आलोच्य आदेश दिनांक 28/05/2018

श्रीमान तहसीलदार महोदय रा.नि.मं. सागर खास तह. व जिला सागर म. प्र.

प्र. क्र. 0076/अ/2016-17

श्रीमति् रश्मि आत्मज पत्नि इंन्द्रराज सिंह राजपूत
निवासी ग्राम केवलारी तह. केसली जिला सागर म. प्र.
हाल निवासी सी/14 एल. आई. जी. धनवंतरी नगर जबलपुर म. प्र ....आवेदिका

विरुद्ध

हजारी सिंह पिता रज्जू सिंह राजपूत

व्यवसाय - कृषि कार्य

निवासी - ग्राम बम्होरी तह. सागर जिला सागर म. प्र. .... अनावेदक

श्री कृष्णकुमार साहू, अधि. द्वारा प्रस्तुत.
कार्यालय ..., सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 22 नियम 4 उपनियम (3) सहपठित धारा 151 सि.प्र.स.

का आलोच्य आदेश दिनांक 28/05/2018

उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता निम्न लिखित पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता हैं :-

1. यह कि अनावेदक श्रीमति् रश्मि के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मृतक हजारी के विरूद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4954/2018/सागर/भू.रा. अर्जुन विरूद्ध रश्मि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक अर्जुन सिंह स्वयं उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमांक 0076/अ/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-05-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-06-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एंवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) .1.19
सदस्य